भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4177

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

नदियों का वर्गीकरण

4177. श्री जी एम सिद्देश्वर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदियों का बड़ी और छोटी श्रेणियों में वर्गीकरण करने हेतु कोई मानदंड बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य विशेषकर कर्नाटक से संबंधित बड़ी और छोटी नदियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में नदियों की स्वच्छता के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) बड़ी और छोटी नदियों का कोई मौजूदा वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि भारत के जल संसाधनों की क्षमता के आकलन के उद्देश्य से देश को 12 प्रमुख नदी बेसिनों और 8 संघटित नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक बेसिन में एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां होती हैं। लेकिन एक बेसिन की मुख्य नदी दूसरे बेसिन की सहायक नदी से छोटी हो सकती है। बेसिनो/नदियों और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के नाम नीचे दिए गए हैं:-

क्र.[illegible]	बेसिन का नाम	कुछ प्रमुख सहायक नदियां
1	सिंधु	सिंधु, गिलगित, सतलुज, झेलम, श्योक, ब्यास, रावी, चिनाब
2	गंगा	घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, रामगंगा, सोन, केन
3	ब्रह्मपुत्र	तीस्ता, धनासिरी, [illegible], [illegible], सुक्ला, सुबनासिरी
4	बराक और अन्य	त्यूलाग
5	गोदावरी	[illegible], [illegible], प्रवरा, पूर्णा, [illegible], [illegible], प्रणिता, इंद्रावती, सबरी
6	कृष्णा	[illegible], घटप्रभा, मालप्रभा, [illegible], [illegible]गभद्रा,
7	कावेरी	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
8	सुबर्णरेखा	[illegible], [illegible], छौपत
9	ब्राह्मणी और बैतरनी बेसिन	[illegible], सालदी, रामियाला
10	महानदी	सलारिया, पि[illegible]री, सियोनाथ, जोक, [illegible]
11	पेन्नार	चित्रावती

12	माही	सोम , पनम
13	साबरमती	हाथमती , वत्रक
14	नर्मदा	बरना , तावा , कोलार , छोटा तावा , मैन , हटनी , कजेन
15	तापी	पूर्णा, गिर्ना, वाघुर
16	पश्चिम की ओर बहने वाली नादेया तापी से ता ी तक	दमनगंगा , वैतरणा , उल्हास, कुंडलिका, छपोरा , कालिंदी
17	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ता ी से कन्याकुमारी तक	शरवती , वरही, भरतपुझा , कुरुमाली, पेरयार , पंबा , कल्लदा
18	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नादेया	रुशिकुलया , वामसधारा , नागा ल्ली, तांडवा , पेड्डार, एरोकलवा, गुंड ल्लकम
19	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच , पूर्व की ओर बहने वाली नादेया	उप्पलेरु, अरनी , पेलार , पोनायर , वेल्लार, वैगई
20	लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र श की पश्चिम की ओर बह ने वाली नादेया	शतरुंजी, भद्र, माछू , बनास , लूनी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसी□□), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (□□□□□□□) / केंद्रीय प्रदूषण समितियों (□स□स□) के साथ नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक की 17 नदियों को जैव-रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड (□□ □ □□) की सांद्रता के आधार पर प्रदूषित पाया गया है जो निम्नवत हैं:

नदी का नाम	प्रदूषित खंड	प्राथमिकता
अकरावती	हालो जलाशय से कनकपुर टाऊन	III
लक्ष्मणतीर्थ	कट्टेमलावडी से हुनसुर	III
मलप्रभा	खानपुर से धारवाड़	III
तुंगभद्रा	हरिहर से कोलोहल्ली	III
भद्रा	होलेहनुर से भद्रावती	IV
कावेरी	रंगानाथीटट्टु से सत्यमंगलम पुल	IV
काबिनी	ननजलगुड सेहजजी	IV
कागिना	शाहाबाद से होगुंता	IV
काली	हसनमाड (वेस्ट कोस्ट पेपर मिल) सेबोम नहल्ली जलाशय	IV
कृष्णा	तिनातिनी पुल से यदुवोडी	IV
शीमसा	येदीयार से हालागुर	IV
आसंगी नाला	आसंगी के साथ	V
भीमा	घानापुर से यादगीर	V
कु मारधारा	उपीनागड़ी के साथ	V
नेत्रवथी	उपीनागड़ी से मंगलुरु	V
तुंगा	शिमोगा से कुडली	V
यागची	यागची , हसन के साथ	V

(घ) □स मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआ□□□□□) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक की नदियों में प्रदूषण रोकथाम के लिए कोई खर्च नहीं किया गया है।

*****